# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट –01, नॉलेज पार्क–IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला –गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)।
Website:- www.greaternoidaauthority.in Email id:- authority@gnida.in

पत्रांक :–43474/ग्रेनौ0 / कार्यालय–आदेश / 2021–22 दिनांक :– 08/07 /2021

## कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों के सम्बन्ध में ब्याज दर हेतु पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या–4160 / ग्रे0नौ0 / कार्यालय–आदेश / 2020–21 दिनांक 15.01.2021 के कम में दिनांक 01 जुलाई, 2021 से ब्याज दरें निम्नवत लागू होगी:–

1. तीन वर्ष की अवधि के ऋण हेतु एस0बी0आई0 के एम0सी0एल0आर0 दर दिनांक 30 जून, 2021 को 7.30 प्रतिशत है, जिस पर प्रशासनिक व्यय 1.00 प्रतिशत को शामिल करते हुए अगले 0.5 प्रतिशत के स्तर तक **round off** करने पर 8.50 प्रतिशत आगणित होता है।
2. समय से देयो को भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डिफॉल्ट धनराशि पर डिफॉल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज दर 03 प्रतिशत अतिरिक्त (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउडिंग करते हुए) लागू की जाए।

अत: प्राधिकरण की सभी सम्पत्तियों के समस्त देयो पर (बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग को छोडकर) उपरोक्त शर्तो के अनुसार ब्याज दर 8.50 प्रतिशत दिनांक 01 जुलाई, 2021 से लागू किया जाता है, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक लागू रहेगा।

01 जनवरी, 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLR के अनुसार पुनः दरें निर्धारित की जायेगी।

**Signed by**
**Amandeep Duli**
**ACEO**
**(09/07/21 14:45:14**
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपलाक अधिकारी (डी0) को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्ष को अनुपालनार्थ।
4. प्रभारी (सिस्टम) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश प्राधिकरण की बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
5. गार्ड फाइल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी